

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० १३९ / २०२३

तारीख रजू - २०-१०-२०२३

दावा बाबत स्थाई निष्काशा

गिशाल आई०डी० नम्बर २०२३/५९९

सनमान

राहुल पुत्र कमलकिशोर जाति महाजन निवासी हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

नगर परिषद हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण— १०

दिनांक	करें अहकाम
10-2023	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री नरेंद्र सिंह जादौन एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर घत्रावली दिनांक 17.11.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेश कुमार हरसोलिया) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
17 <sup>11</sup> / <sub>23</sub>	<p>बहुमत उपस्थित/पेशवादी अधिकारी सुरेश कुमार हरसोलिया को पेश हो। प्रमाण है। न्यायालय दिनांक 18-3-24</p>
18 <sup>3</sup> / <sub>24</sub>	<p>पेशवादी पेश हुई। वादी व वादी वकील उपर वादी व वादी वकील को अलग से बार-बार आवाज दिलवायी गयी। अलग मिलने के बाद वादी व वादी वकील उपर भी लिखने पाठिए देखा है कि वादी व वादी वकील अलग मार्ग चलने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मु.नं. 2023/3 राया अदालत धरणी व अदालत में रजि. नं. 2023/3 किया जाता है। पेशवादी कैमल कुमार धरणी अदालत में अदालत।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला (क...)</p>

